सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024*	
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 24, 2024

जी.एस.आर.79 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (दूसरा संशोधन)नियम, 2024 है।

(2) ये 01.01.2018 से प्रवृत्त होंगे।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में, अनुसूची V- अग्रिम वेतन वृद्धियां में- क्रम संख्यांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात, क्रम संख्यांक 4 पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात:-

“

क्र.सं.	पद का नाम	लेवल	अग्रिम वेतन वृद्धियां
1	2	3	4
4	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा (सामान्य विंग) के अधीन सहायक निदेशक (आयुर्वेद)/ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-।। (अंतरपरिवर्तनीय) और उससे ऊपर के पद	एल-15 एल-16 एल-19	सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए:- (1)जो स्नातकोत्तर डिग्री रखता/सेवा में रहते हुए अर्जित करता हो, को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी। (2)ये उपबंध उन पर लागू नहीं होंगे जिन्होंन पहले ही आयुष चिकित्सा अधिकारी के रूप में उच्चतर प्रारंभिक वेतन/ अग्रिम वेतन वृद्धियां का फायदा ले लिया है।

टिप्पणी:- उपरोक्त प्रतिस्थापित किये गये उपबंध के नियतन/पुनः नियतन के कारण उन पर के वेतन और उस पर भत्तों का कोई भी बकाया, किसी भी पेटे 01 जनवरी, 2018 से 31 अगस्त, 2024 (दोनो दिन सम्मिलित) तक प्रोद्भूत नहीं होगा। "

[संख्या एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

देबाशीष पृष्टी,

सचिव, वित्त (बजट)।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, October 24, 2024

G.S.R.79 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from 01.01.2018.

(3) In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, in Schedule V-Advance increments - After the existing entry at S.No. 3, a new entry at. S.No. 4 shall be Inserted by the following, namely: -

S. No.	Name of the Post	Level	Advance Increments
1	**2**	**3**	**4**
4	The posts of Assistant Director (Ayurved) / Sr. Ayurved Medical Officer Grade- II (Inter-changeable) and above under Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service (General Wing)	L-15 L-16 L-19	For Post Graduate Degree in relevant subject: - (1) who are possessing/ acquiring P.G. Degree while in service shall be allowed three advance increments. (2) These provisions shall not be applicable to those who have already availed benefit of higher initial pay/advance increments as Ayush Medical Officer.

Note: - No arrear of Pay and Allowances thereon on any account shall accrue from 01st January, 2018 to 31st August, 2024 (both days inclusive), on account of fixation/re-fixation of above substituted provision.

[No. F.15(1)FD/Rules/2017]
By order of the Governor,
Debasish Prusty,
Secretary, Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.